कार्यकारी सार

1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी का प्रारूप (मॉडल)

नई दूरसंचार नीति (एन टी पी-99) जो अप्रैल 1999 में लागू हुई ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी के प्रारूप की भुरूआत की। इस प्रणाली के तहत दूरसंचार लाइसेंस धारियों को अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का कुछ प्रति ात वार्शिक लाइसेंस भुल्क (एल एफ) के रूप में सरकार के साथ साझा करना होता था। इसके अलावा मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज (एस यू सी) का भुगतान करना होता था। दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस सहमति से लाइसेंस धारी कंपनी के सकल राजस्व के घटकों को परिभाशित किया गया था और समायोजित सकल राजस्व की गणना लाइसेंस समझौते में लिखे गये कुछ कटौती की अनुमति के बाद की गयी थी। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अन्तर्गत नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा सेवा प्रदाता के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा को दू वि द्वारा सरकार को देय राजस्व हिस्सेदारी के आंकलन के लिए भरोसा किया जाता है।

2. निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए राजस्व हिस्सेदारी की यथातथ्यता पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा की गई लेखापरीक्षा

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता (पी एस पी) द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के रूप में दी गयी राजस्व हिस्सेदारी भारत सरकार (जी ओ आई) के समेकित निधि का हिस्सा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा की भार्तों) की धारा 16 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लिए यह अत्यंत आव यक है कि वह देखे कि भारत सरकार को अपना पूरा और सही हिस्सा मिला है। इसके अलावा भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण सेवा प्रदाता (लेखा और अन्य दस्तावेजों के रखरखाव) नियम 2002 जो सरकार द्वारा नवम्बर 2002 में बनाया गया उसमें सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा बनाये गये सभी लेखा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जो सेवा प्रदाता द्वारा सकल राजस्व (जी आर) पर प्रभाव डालते हैं, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा करने का प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मार्च 2016 में वर्श 2006-07 से 2009-10 के बीच छः पी एस पी द्वारा राजस्व साझा करने पर रिपोर्ट (2016 की प्रतिवेदन संख्या 4) संसद में प्रस्तुत की थी और रिपोर्ट को लोक लेखा समिति ने माना था। पांच पी एस पी (मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड एवं टाटा टेली सर्विसेज (महाराश्ट्र) लिमिटेड को छोड़कर 2010-11 से 2014-15 के बीच एवं मैसर्स सिसटेमा भयाम टेलीसर्विसेज लिमिटेड का 2006-07 से 2014-15 के बीच का लेखा जोखा की लेखापरीक्षा 2016 में की गयी और लेखापरीक्षा के निश्कर्शों की रिपोर्ट एक अलग रिपोर्ट (2017 की प्रतिवेदन संख्या 11) में की गयी। वर्तमान रिपोर्ट पांच[1] ऑपरेटरों के लेखांकन रिकॉर्ड के सत्यापन से उत्पन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रस्तुत करती है।

[1] 1. मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड एवं टाटा टेलिसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड (2010-11 से 2014-15), 2. मैसर्स क्वाडरैन्ट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड (2006-07 से 2014-15), 3. मैसर्स विडियोकॉन टेलिकम्यूनिकेशन लिमिटेड (2009-10 से 2014-15), 4. टेलिनोर ग्रुप (2009-10 से 2014-15) और 5. रिलायंस जियो लिमिटेड (2012-13 से 2014-15)।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय और अनुबंध शामिल हैं। अध्याय 1 राजस्व साझा करने की मुख्य विशेषतायें एवं दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) की एल एफ और एस यू सी के संग्रह करने की व्यवस्था और उनके अंतिम मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण देता है। यह ऑडिट स्कोप एवं कार्य प्रणाली भी बताता है। अध्याय II से VI तक में ऑपरेटर के अनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

(i) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों को भुगतान किये गये कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके सकल राजस्व ने (जी आर/ए जी आर) को कम करके बताया गया

निजी सेवा प्रदाता अपने प्रीपेड उत्पादों को बेचने के लिए एवं ग्राहक अधिग्रहण के लिए वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों की नियुक्ति करते हैं तथा इसके लिए उन्हें कमीशन रियायतों का भुगतान करते हैं। वो सभी निजी सेवा प्रदाता (पी एस पी) जिनके खातों को सत्यापित किया गया था उसमें पाया गया कि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों को भुगतान किये गये कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न कर इन्होंने जी आर/ए जी आर को कम करके बताया।

चूंकि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों को दिया गया कमीशन/डिस्काउंट व्यवसायिक खर्चों की प्रकृति (विपणन व्यय) का है अतः जी आर/ ए जी आर में रिपोर्टिंग हेतु राजस्व से इसे कम करना समझौतों की शर्तों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि छूट/कमीशन इत्यादि द्वारा राजस्व में की गयी कमी ₹ 3183.03 करोड़ थी इसके परिणामस्वरूप लाईसेंस फीस और एस यू सी को क्रमशः ₹ 270.36 करोड़ एवम् ₹ 117.99 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1)

(ii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा फ्री टॉक टाइम/फ्री एयर टाइम जैसी संवर्द्धन योजनाओं की राशि को शामिल न करके जी आर/ए जी आर को कम करके बताया गया

लेखापरीक्षा में देखा गया है कि निजी सेवा प्रदाता अपने प्रीपेड ग्राहकों को विभिन्न अवसरों पर जो मूलतः विभिन्न नामों के तहत संवर्द्धन योजनायें हैं फ्री टॉक टाइम/फ्री एयर टाईम जैसे अलग अलग ऑफर उपलब्ध कराते हैं। यूनीफाईड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) अनुबंधों में प्रावधान है कि सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जाना चाहिए तथा रियायत/छूट के ब्यौरे को अलग से दर्शाया जाना चाहिए। यह पाया गया कि संवर्द्धन योजनाओं को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गयी।

चूंकि इस प्रकार के संवर्द्धन योजना व्यवसायिक व्ययों की प्रकृति में थे। भारत सरकार को राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु यू ए एस सल समझौतों के तहत उन्हें जी आर/ए जी आर के उद्देश्य के लिए राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने जी आर/ए जी आर को कम दिखाने के इस पहलू पर काम किया और पाया कि इसके कारण ₹ 3310.00 करोड़ कम दिखाये गये जिसके कारण एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 277.83 करोड़ और ₹ 125.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2)

(iii) प्रीपेड/पोस्टपेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा एवं टेलीनॉर के द्वारा पोस्टपेड/प्रीपेड ग्राहकों को दी जाने वाली टैरिफ प्लान के अलावा रियायात/वेवर को उनके राजस्व से घटा दिया गया था। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) को प्रस्तुत टैरिफ प्लान पर पोस्टपेड ग्राहकों को दी गई ऐसी रियायत/वेवर व्यापार व्यय की प्रकृति का होता है तथा राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर को बताने हेतु राजस्व से इनको घटाना लाइसेंस अनुबंधों के अनुरूप नहीं है। इस विचलन के कारण इन कंपनियों ने जी आर/ए जी आर को ₹ 345.92 करोड़ कम करके दिखाया जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 29.06 करोड़ और ₹ 13.25 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.3, 3.2.3)

(iv) रोमिंग सेवाओं से संबंधित राजस्व से छूट को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग सेवाओं के लिए व्यवस्था है। यह पाया गया है कि टेलीनॉर ने इन्टर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट जो इन ऑपरेटरों को दी गयी वह रोमिंग राजस्व में से कटौती कर दी। अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था होना दोनों ऑपरेटरों के लिए आपसी समझौते की बात है और रोमिंग के लिए सहमत शुल्क के अलावा छूट देना दो ऑपरेटरों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए समग्र व्यवसायिक रणनीति का हिस्सा है और इसलिए ये छूट खर्चों की प्रकृति में थी और इसलिए लाइसेंस समझौते के तहत उन्हें राजस्व से कटौती करने की अनुमति नहीं है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व की इस तरह की गणना के कारण जी आर/ए जी आर को ₹ 3.27 करोड़ कम करके दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 0.32 करोड़ और ₹ 0.11 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

(v) अवसंरचना की हिस्सेदारी से राजस्व को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

यू ए एस एल अनुबंधों में प्रावधान है कि जी आर में, अवसंरचना की भागीदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय की संबंधित मदों को घटाये बिना शामिल होगा, पी एस पी में अन्य पी एस पी के साथ उनके निष्क्रिय ढांचे को साझा करने के लिए व्यवस्था है। लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा के मामले में अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राशि राजस्व में पूर्ण रूप से नहीं ली गयी है। इसके बजाय इसको खर्चे में प्रदर्शित किया गया है। इसके कारण राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य के लिए जी आर/ए जी आर की गणना हेतु अवसंरचना भागीदारी से राजस्व को कम करके दिखाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व की इस तरह की गणना के कारण जी आर/ए जी आर को ₹ 107.09 करोड़ कम करके दिखाया गया। जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 9.15 करोड़ और ₹ 3.85 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4)

(vi) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा फोरेक्स लाभ के कम/गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

जी आर की परिभाषा के सन्दर्भ में, राजस्व भागीदारी की गणना के लिए फोरेक्स लाभ जी आर का एक घटक होना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पी एस पी द्वारा फोरेक्स लाभ को या तो पूरी तरह से जी आर से बाहर रखा गया या आंशिक रूप से जी आर में शामिल किया गया। सभी पी एस पी द्वारा फोरेक्स लाभ को जी आर से बाहर रखने की गणना ₹ 1484.17 करोड़ पाई गयी। जिसके कारण एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 125.07 करोड़ और ₹ 15.91 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.5, 3.4, 4.3.2, 5.3.1, 6.6.1)

(vii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्याज से आय को समाविष्ट नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये

लाइसेंस अनुबंधों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि पी एस पी ने जी आर/ए जी आर में अपनी ब्याज को शामिल नहीं किया है जिसके कारण राजस्व हिस्सेदारी में कम भुगतान हुआ। ऑडिट कवरेज की अवधि के दौरान पी एस पी द्वारा रिपोर्ट किये गये कम दिखाये गये राजस्व की गणना ₹ 687.59 करोड़ पाई गयी। जिसके कारण एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 59.23 करोड़ और ₹ 23.78 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.2, 3.5, 4.3.1, 5.3.4)

(viii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा निवेश की बिक्री से आय के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये

लाइसेंस अनुबंध में प्रावधान है कि राजस्व भागीदारी की गणना के लिए निवेश से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा ने राजस्व भागीदारी की गणना के लिए निवेश से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया था। निवेश से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल न करने की कीमत ₹ 257.07 करोड़ पायी गयी जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमश ₹ 21.52 करोड़ और ₹ 9.50 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.1)

(ix) विविध राजस्व और अचल संपत्तियों की ब्रिकी से प्राप्त लाभ के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम करके बताया गया

लाइसेंस अनुबंध में प्रावधान है कि जी आर में अन्य विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा, टेलीनॉर और क्वाडरेन्ट ने विविध आय जैसे अचल संपत्तियों की ब्रिकी से प्राप्त लाभ को शामिल न करके जी आर को कम करके दिखाया। इस प्रकार जी आर को कम करके दिखाने की कुल कीमत ₹ 165.39 करोड़ पाई गयी इसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 13.64 करोड़ और ₹ 5.60 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.3, 2.3.4, 3.6, 5.3.2, 5.3.5)

(x) बट्टे खाते में डाले जाने वाली अप्राप्य ऋण राशि को कटौती के रूप में दावा करने से ए जी आर कम दिखाया गया

लाइसेंस अनुबंध सेवा प्रदाताओं के ए जी आर निकालने के लिए केवल राजस्व के तीन मदों को जी आर से कटौती की अनुमति देते हैं। जी आर से ए जी आर निकालने के लिए अप्राप्त ऋण राशि कटौती दावा के योग्य नहीं थी हालांकि टाटा ने अपने जी आर से ए जी आर निकालने के लिए अप्राप्त ऋण राशि कटौती का दावा किया। इस तरह कुल ₹ 1026.01 करोड़ काट लिया गया था जिसके कारण क्रमशः लाइसेंस फीस और एस यू सी का ₹ 88.59 करोड़ और ₹ 39.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.1)

(xi) एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर का कम बताया जाना

यू ए एस एल अनुबंधों के संदर्भ में बैंडविड्थ/अवसंरचना की भागीदारी के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर को विचार में लेना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि टाटा तथा क्वाड्रेन्ट ने एस यू सी की गणना करने के लिए बैंडविड्थ/ अवसंरचना की भागीदारी के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को ए जी आर में शामिल नहीं किया है। जबकि यह लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए शामिल किया गया था। केवल वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाली निजी सेवा प्रदाताओं ने इस प्रकार का अपवर्जन नहीं किया है। एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर में शामिल नहीं की गयी राजस्व की राशि ₹ 2988.59 करोड़ निकलती है तथा इसके प्रभाव से एस यू सी का ₹ 105.95 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.3, 5.3.3)

(xii) लाइसेंस शर्तों का अनुपालन

दूरसंचार विभाग के साथ लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंसधारी ऑपरेटर का सकल राजस्व, राजस्व हिस्सेदारी के खाते के भुगतान की तैयारी के लिए राजस्व और मानदंडों से संबंधित व्यय के किसी भी सेट–ऑफ को प्रतिबंधित करता है ऐसा लाइसेंस समझौते में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने सभी पांच ऑपरेटरों द्वारा तैयार किये गये खातों में लाइसेंस समझौते की शर्तों के साथ गैर अनुरूपता देखी जिसके कारण सरकार के साथ राजस्व साझा करने के लिए उनकी जी आर की गणना की गई थी। हालांकि जी आर की गणना लाइसेंस समझौतें के अनुपालन में नहीं थी। फिर भी वैधानिक लेखापरीक्षकों ने हमेशा प्रमाणित किया था कि लाइसेंस अनुबंध में निहित दिशा निर्देशों/मानदंडों के अनुसार खाते तैयार किए गये थे और कंपनियों ने हमेंशा दूरसंचार विभाग के एक हलफनामा प्रस्तुत करते हुए पुष्टि की, कि उनका जी आर लाइसेंस समझौते में परिभाषित किया गया था। ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत किए गये ये विवरण केवल एक परिचयात्मक अभ्यास के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे जी आर/ए जी आर की गणना करते समय यू ए एस एल समझौता की शर्तों से लगातार दूर चलते रहे। इसके तहत दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस समझौतों में निर्धारित नियमानुसार अपने राजस्व का खुलासा करने के लिए कोई भी सक्रिय कदम नहीं उठाया।

(पैराग्राफ 2.4.6, 3.8, 4.5, 5.5)

4. लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित राजस्व की गैर वसूली का समेकित विवरण:

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार लाइसेंस फीस का कम/गैर भुगतान का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एल एफ की गैर वसूली (₹ करोड़ में)				
	टाटा	टेलीनॉर	वीडियोकॉन	क्वाड्रेन्ट	रिलायंस जियो
वितरकों/डीलरों को भुगतान किये गये कमीशन/छूट इत्यादि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	182.20	79.19	5.82	3.15	-
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभिदाताओं को दिये गये प्रमोशनल फ्री एयर टाईम को राजस्व के लिए नहीं पहचाना गया	158.39	111.31	7.88	0.25	-
ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	15.95	13.11	-	-	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	-	0.32	-	-	-
हटाया गया (नेटेड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	9.15	-	-	-	-
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	115.22	1.89	1.38	1.48	5.10
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	29.50	24.84	4.80	0.09	
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	21.52	-	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर समावेशन	5.90	4.64	-	3.10	-
दावा किए गये बट्टे खाते में डाले गये बैड डेब्टस के कारण अयोग्य कटौती	88.59	-	-	-	-
अन्य मुद्दे	97.81	22.02	0.42	0.15	0
कुल	**724.23**	**257.32**	**20.30**	**8.22**	**5.10**

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार एस यू सी का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है:-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एस यू सी की गैर वसूली (₹ करोड़ में)				
	टाटा	टेलीनॉर	वीडियोकॉन	क्वाड्रेन्ट	रिलायंस जियो
वितरकों/डीलरों को भुगतान किये गये कमीशन/छूट इत्यादि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	79.68	34.28	2.63	1.40	-
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभिदाताओं को दिये गये प्रमोशनल फ्री एयर टाईम को राजस्व के लिए नहीं पहचाना गया	71.87	49.53	3.69	0.11	-
ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	7.01	6.24	-	-	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	-	0.11	-	-	-
हटाया गया (नेटेड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	3.85	-	-	-	-
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	14.16	0.85	0.43	0.47	0.00
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	12.45	9.35	1.91	0.07	-
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	9.50	-	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर समावेशन	2.54	2.05	-	1.01	-
दावा किए गये बट्टे खाते में डाले गये बैंड डेब्टस के कारण अयोग्य कटौती	39.49	-	-	-	-
ए जी आर में एल एफ के लिए राजस्व में शामिल किया गया परन्तु एस यू सी के लिए नहीं	104.26	-	-	1.69	-
अन्य मुद्दे	42.19	8.40	0.24	0.07	0.00
कुल	**387.00**	**110.81**	**8.90**	**4.82**	**0.00**

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च 2016 को लाइसेंस फीस, एस यू सी का कम/गैर भुगतान एवं उस पर देय ब्याज को नीचे तालिका में दिया गया है:-

	एल एफ, एस यू सी और ब्याज का कम/गैर भुगतान (₹ करोड़ में)					
	टाटा	टेलीनॉर	वीडियोकॉन	क्वाड्रेन्ट	रिलायंस जियो	कुल
एल एफ	724.23	257.32	20.30	8.22	5.10	1015.17
एस यू सी	387.00	110.81	8.90	4.82	0.00	511.53
कुल (एल एफ+एस यू सी)	1111.23	368.13	29.20	13.04	5.10	1526.70
ब्याज	782.37	235.62	18.88	13.58	1.68	1052.13
कुल (एल एफ+एस यू सी+ ब्याज)	1893.60	603.75	48.08	26.62	6.78	2578.83

लेखापरीक्षा द्वारा पांच निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के अभिलेखों के सत्यापन के सारांश ने संकेत दिया कि वर्ष 2014-15 तक की अवधि में ₹ 14813.97 करोड़ की राशि को ए जी आर में कम बताया गया और इस प्रकार भारत सरकार को ₹ 1526.70 करोड़ राजस्व राशि को कम भुगतान किया गया। कम भुगतान की गई राजस्व राशि पर मार्च 2016 तक बकाया ब्याज ₹ 1052.13 करोड़ था।

5. लेखापरीक्षा कथनों पर दूरसंचार विभाग तथा निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) की प्रतिक्रिया

पांच निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व हिस्सेदारी पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को दिसम्बर 2016/जनवरी/फरवरी 2017 की अवधि के दौरान संबंधित निजी सेवा प्रदाता को प्रति भेजने के साथ दूरसंचार विभाग को बताया गया। निजी सेवा प्रदाताओं ने जनवरी–मार्च 2017 की अवधि में लेखापरीक्षा को अपना जबाव दिया। विभिन्न लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया (रिलायंस जिओ के अलावा) फरवरी 2017 में प्राप्त हुई। जिसे उचित रूप से रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। रिलायंस जिओं के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर मंत्रालय के प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।